



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 772) पटना, शुक्रवार, 10 अगस्त 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 227, दिनांक 10 अगस्त 2018—वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं० 226, दिनांक 10 अगस्त 2018. जिसे बिहार गजट, असाधारण अंक में सं० 771, दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की कड़िका-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य-कर आयुक्त, यह घोषित करते हैं कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० 6/प०सू०-19-01/2017)-2361]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 227, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० 6/प०सू०-19-01/2017)-2361]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 10th August 2018

S.O. 227, Dated 10th August 2018— In exercise of the powers conferred under clause (3) of Commercial Taxes Department notification no 226 dated 10th August 2018 published in Bihar Gazette vide no. 771, dated 10th August 2018 (hereafter in this notification referred to as the said notification), Commissioner Commercial Taxes is pleased to declare that the said notification shall come into force with effect from the 10th day of August' 2018.

[(File No. 6/Pa.Sri.-19-01/2017-2361)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 772-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>